FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... सहायक कलक्टर (SDO) .... मुकाम ....

.... टीकमाराम वगैरा बनाम केसाराम वगैरा ....

किस्म मुकदमा रा०का० 88,188 Rt Act नं. 138 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/दावा/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो।	
28/08/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 11/09/19 को पेश हो।	
11/09/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 16/10/19 को पेश हो।	
16/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त/इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 06/11/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर	U28 30/10/19

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

06/11/19

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 से 6 के समन तामील शुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिडमाराम सियाग द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 4 से 6 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम स्याग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई अत: वास्ते वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 7/1/2020 पेश हो।

बिजु व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आदेश [illegible] by me [illegible] 2, 4, से 6 की ओर [illegible]

07/01/2020

वकला फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 से 6 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया व No objection किया गया। प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, प्रतिवादी संख्या-3 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-1 ~~की ओर से जवाब इकबालिया~~ की ओर से वकील श्री रिडमाराम सियाग द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 श्री रिडमाराम पुत्र केसराराम जाति-जाट निवासी-भाडुओं की ढाणी (भाडुपुरा बरवाला) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व PW-2 - भूराराम पुत्र ईश्वराराम जाति-जाट निवासी-ढीला की ढाणी तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 DW-1 केसराराम पुत्र पनाराम जाति-जाट निवासी-भाडुओं की ढाणी (भाडुपुरा बरवाला) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

टीकमाराम

[illegible] भूराराम

प्रतिवादी सं. 2 व 4 से 6 NO objection

ob[illegible]

बिजु व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 के बीच आपस में पिता पुत्र का रिश्ता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की संयुक्त रूप से पुश्तैनी जमीन ग्राम मौजा- मांडुओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- क्रमशः:- 105 109 रकबा-क्रमशः:- 168.09 43.14 बीघा व मौजा- मांडुओं की ढाणी पटवार हल्का- माडपुरा बरवाला तहसील- बायतु के खेत खसरा नम्बर-क्रमशः:- 55,57,58 रकबा क्रमशः:- 0.08, 1.05 17.02 बीघा किस्म गै०मु० व बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त जमीन वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की पुश्तैनी होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का बराबर का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या-1 का उक्त विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। इस कारण वादीगण भी प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सह खातेदार होने दर्ज का अधिकार है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के दादा पनाराम के नाम दर्ज हुई थी। पनाराम के फौत होने के बाद उक्त भूमि प्रतिवादीगणों के नाम से दर्ज हुई तथा उक्त भूमि में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या-1 के नाम 1/4 हिस्सा की भूमि दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का बराबर-बराबर का हक हिस्सा है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 ने परिवार से अलग कर दिया है व उनके हिस्से में आने वाली जमीन बांट-कर मौके पर हिस्सेनुमार बंटवारा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दे दी है जिसमें वादीगण की खातेदारी काबिज काश्त भी बने हुए है परन्तु वादीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं है इस कारण फसल बिमा करवाने सहकारी समितियों व बैंको से ऋण करवाने में असुविधा रहती है इस कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या-1 के साथ अपना हिस्सा बराबर-बराबर घोषित करवाने का अधिकारी है जिस हेतु यह वाद घोषणा का वादीगण द्वारा पेश किया गया। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री किशनाराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 व 4 से 6 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई तथा बाद में No objection किया जाकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या-3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रूप में PW-1, PW-2 के शपथ-पत्र व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 प्रतिवादी संख्या-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया। हमने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जवाबदावा एवं वादी व प्रतिवादी साक्ष्य, शपथ-पत्रों तथा वक्त सेटलमेंट नकल, पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त कागजात भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक

(SDO)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साबित होती है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से की भूमि में वादीगण का बराबर-बराबर का हक हिस्सा है।	
	अतः समस्त तथ्यों व प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब-दावा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित अराजी मौजा-मांडुओं की ढाणी पटवार मण्डल-मांडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः:- 105, 109 रकबा क्रमशः:- 168.09, 43.14 बीघा व मौजा-मांडुओं की ढाणी पटवार मण्डल-मांडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर- 55, 57, 58 रकबा-क्रमशः:- 0.08, 1.05, 17.02 बीघा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 के 1/4 हिस्से की भूमि में सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कामिल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

इजलास श्री विवेक व्यास R.A.S. टीकमाराम कोरा बनाम हेमाराम कोरा

दावा बाबत रा० धारा 88,188 RTAct

मुकदमा नं. 138/19 सन् 2019

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री रिखबाराम सियाग एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी

दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी मौजा-भाडुओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः:-105, 109 रकबा क्रमशः:-168.09, 43.14 बीघा व मौजा-भाडुओं की ढाणी पटवार मण्डल-माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः:-55, 57, 58 रकबा क्रमशः:-0.08, 1.05, 17.02 बीघा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या-1 1/4 हिस्से की भूमि में सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

कौम........ मुबलिंग — बाबत —

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख बसूलयाबी तक — को अदा करें।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह 01 2020 को जारी की गई।

दस्तखत विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO)

ओहदा बायतु

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं [illegible] ए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. टीकमाराम पुत्र केसाराम 2. खिंयाराम पुत्र केसाराम 3. खींगाराम पुत्र केसाराम जाति-जाट निवासी-भाडुओं की ढाणी फरवा राजस्व माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र पनाराम 2. छगनाराम पुत्र पनाराम 3. पुनमाराम पुत्र पनाराम 4. रमेश पुत्र नैनाराम 5. राकेश पुत्र नैनाराम 6. डेऊ पत्नि नैनाराम जाति-जाट निवासी-भाडुओं की ढाणी माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

सेवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:13:58 IST
Reason: SelfAttested